



Helpline

1064



94135-02834

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अलवर में पटवारी 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 11 मई, गुरुवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर—प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मुन्ना सिंह पटवारी पटवार हल्का मायापुर, तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर को परिवादी से 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर—प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विरासत के आधार पर भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में मुन्ना सिंह पटवारी पटवार हल्का मायापुर, तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर द्वारा स्वयं एवं अपने उच्चअधिकारियों के नाम से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी की अलवर—प्रथम इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचंद द्वारा मय टीम के द्वेष कार्यवाही करते हुये मुन्ना सिंह पुत्र श्री जयलाल सिंह निवासी ग्राम मातलवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का मायापुर, तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर को परिवादी से 30 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ—साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।